सरयू राय
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
झारखण्ड विधान सभा

आवास :
• एफ. टाईप, आवास सं०-1, PWD (IB), ए.जी. मोड़, डोरण्डा, राँची - 834002
• एल 4/1, कदानी रोड, बारीडीह, जमशेदपुर - 831017
दूरभाष : 0651-2480045, 0657-2249255
मोबाईल नं० : 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com
वेबसाईट : www.saryuroy.in

पत्रांक : आ.का.(वि.स.)/01/67/24 दिनांक : 02-03-24

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष महोदय,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

विषय : कल दिनांक ~~03~~ 01 मार्च, 2024 को सूचीबद्ध मेरे अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का सरकार द्वारा गलत एवं भ्रामक उत्तर देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ:–

1. प्रश्नोत्तर (अनु.–1) की कंडिका–1 में स्वास्थ्य विभाग का उत्तर है कि "श्री सी.पी. सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधानसभा के द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न सं.–41 के उत्तर सामग्री में पूर्व जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, डॉ. रेणुका चौधरी से संबंधित मामला W.P.(C) No. 4970 of 2016 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित रहने की सूचना एवं तथ्य आधारित प्रतिवेदन को समावेश नहीं करने के कारण डॉ. जुझार मांझी, सिविल सर्जन, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सदस्य, श्री सी.पी. सिंह के प्रश्न से डॉ. रेणुका चौधरी का मामला उच्च न्यायालय में रहने अथवा नहीं रहने का कोई संबंध नहीं है। अनावश्यक रूप से डॉ. जुझार मांझी पर प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। विभागीय कार्यवाही चलाने के लिए आदेश माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं संचिका पर दिया है, जो अनावश्यक है। वस्तुतः यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा डॉ. रेणुका चौधरी को संरक्षण देने का प्रयत्न है।

O/C

2. कंडिका–2 में प्रश्न है कि जिन दस्तावेजों की जाँचकर डॉ. रेणुका चौधरी के सेवा से अनुपस्थित रहने की अवधि में उपस्थिति पंजिका में फर्जी हस्ताक्षर बनाने के मामले में दोषी पाया गया है, वे दस्तावेज गायब हैं। परंतु इसका उत्तर सरकार ने नहीं दिया है कि उपस्थिति पंजिका गायब है या नहीं ? यदि गायब है तो इसके दोषी दंडित किये गये या नहीं ?

अध्यक्षीय कार्यालय
3/1/3
02/03/2024
झारखण्ड विधान सभा, राँची

3. झारखण्ड सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव द्वारा ज्ञापांक 662(4), दिनांक 19.08.2013 द्वारा गठित तीन सदस्यीय जाँच समिति ने कागजातों के निरीक्षण के उपरांत अपना प्रतिवेदन दिया कि डॉ. श्रीमती रेणुका चौधरी ने अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति पंजी में जाली हस्ताक्षर बनाया। जाँच समिति का प्रतिवेदन संलग्न है (अनु.–2)। संलग्न जाँच प्रतिवेदन बताता है कि जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, डॉ. श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा दिनांक 01.09.1995 से 07.05.2001 एवं 08.05.2001 से 17.01.2006 तक की अवधि में सेवा से अनुपस्थित रही और अपना निजी क्लिनिक चलाती रही। विभागीय जाँच में इनकी सेवा अवधि में टूट साबित हो गया है और यह भी साबित हो गया है कि इन्होंने उपस्थिति पंजिका में इस अवधि में जाली हस्ताक्षर किया और वेतन लिया, पर सरकार ने यह तथ्य सदन से छुपाया है।

4. प्रश्नोत्तर की कंडिका–3 के उत्तर में सरकार ने बताया है कि **"दिनांक 18.01.2006 से 30.04.2011 तक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर वेतन निकासी करने के मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।"** जबकि दिनांक 08.10.2013 को गठित तीन सदस्यीय जाँच समिति द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन में इन सभी कागजातों का उल्लेख है और उसके आधार पर डॉ. रेणुका चौधरी के शत–प्रतिशत पेंशन राशि की कटौती का दंड दिया गया है। इतना ही नहीं सूचना अधिकार अधिनियम में दी गई सूचना (ज्ञापांक 409(ए), जमशेदपुर, दिनांक 20.09.2022) द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने सूचित किया है कि ये दस्तावेज गायब नहीं है (अनु.–3)। दूसरी ओर श्री दिनेश कुमार किमु के आरटीआई की सूचना में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी (ज्ञापांक–425, दिनांक 27.12.2022) ने बताया कि **मांगे गये दस्तावेजों की प्रति खोजबीन की गई, जिसमें उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है** (अनु.–4)।

5. कंडिका–2 में विभाग ने स्वीकार किया है कि 2006 से 2011 तक चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी स्व. संजय तिवारी की अभिरक्षा में थी, जिन्होंने 28.03.2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न उठता है कि क्या लिपिक स्व. संजय कुमार तिवारी की हत्या उपर्युक्त कागजातों को कार्यालय से गायब बताने के लिए की गई है ? क्योंकि प्रश्नोत्तर की इसी कंडिका में विभाग ने स्वीकार किया है कि गायब पंजिका के बारे में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना पूरे मामले को संदेहास्पद बनाता है।

6. प्रश्नोत्तर की कंडिका–3 में यह भी कहा गया है कि "डॉ. रेणुका चौधरी द्वारा अपने कर्त्तव्य अवधि में ही उक्त अवधि का वेतन प्राप्त किया गया है तथा सेवा टूट अवधि दिनांक 01.09.1995 से 07.05.2001 तक एवं दिनांक 08.05.2011 से 17.06.2006 तक का वेतन डॉ. चौधरी को भुगतान नहीं हुआ है।" यह जाँच का विषय है कि इस अवधि में डॉ. रेणुका चौधरी ने कितना वेतन लिया है और डॉ. चौधरी से प्रासंगिक अवधि के वेतन की वसूली 'पब्लिक डिमाण्ड एंड रिकवरी एक्ट' के अनुसार क्यों नहीं की गई ?

7. यह प्रश्न भी उठता है कि जब तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव द्वारा गठित तीन सदस्यीय जाँच समिति में साबित हो गया कि डॉ. चौधरी ने उपस्थिति पंजिका में फर्जी हस्ताक्षर किया है तो उनके उपर फर्जीवाड़ा करने के लिए कानून की प्रासंगिक धाराओं में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज करायी गयी ? फर्जी हस्ताक्षर मामले में एफआईआर नहीं दायर करना भी साबित करता है कि स्वास्थ्य विभाग डॉ. रेणुका चौधरी को बचाना चाहता है।

8. विभागीय कार्यवाही में डॉ. रेणुका चौधरी को शत–प्रतिशत पेंशन की कटौती का दंड पेंशन एक्ट के अनुसार दिया गया है, क्योंकि तबतक वे सेवानिवृत हो चुकी थी। परंतु उनके द्वारा अनधिकृत रूप से लिये गये वेतन की वसूली करने की कार्रवाई 'पब्लिक डिमांड एंड रिकवरी एक्ट' के तहत क्यों नहीं की गई ? इसी प्रकार फर्जी हस्ताक्षर करने का दोषी पाए जाने के बाद भी उनपर कानून की प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया ? डॉ. रेणुका चौधरी पर पीडीआर एक्ट एवं सीआरपीसी के तहत कार्रवाई नहीं करना और पेंशन एक्ट में कार्रवाई की मात्र औपचारिकता पूरी कर विभाग ने डॉ. चौधरी को जान–बूझकर राहत प्रदान किया है। यह डॉ. चौधरी और कतिपय विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का द्योतक है।

9. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मेरे अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानबूझकर तथ्य को छिपाया है और गलत सूचना प्रश्नोत्तर के माध्यम से सदन पटल पर रखा है। इसके लिए इन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए इनपर सदन की अवमानना की कार्रवाई चलाने का स्पष्ट निर्देश देना श्रेयस्कर होगा। कल की कार्यवाही में मेरा अल्पसूचित प्रश्न क्रमांक–18 पर सूचीबद्ध होने के कारण इस पर वाद–विवाद नहीं हो सका और यह अनागत हो गया, अन्यथा उपर्युक्त बिन्दुओं को मैं वाद–विवाद के दौरान उठाता। स्पष्ट है कि सदन से सही तथ्य छुपाकर सरकार ने सदन को गुमराह किया है और दोषी व्यक्ति का बचाव किया है।

अतः अनुरोध है कि सदन को गुमराह करने वाले स्वास्थ्य विभाग के दोषी पदाधिकारियों और माननीय स्वास्थ्य मंत्री पर अवमानना की कार्रवाई चलाने, उपस्थिति पंजिका पर फर्जी हस्ताक्षर बनाने के लिए डॉ. रेणुका चौधरी के विरूद्ध प्रासंगिक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने, जिला यक्ष्मा कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से डॉ. चौधरी को दोषी ठहरानेवाले कागजातों को गायब करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा जिस लिपिक की अभिरक्षा में ये दस्तावेज थे, उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, इसकी जाँच करने के विषय में सरकार को विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश देने की कृपा करना चाहेंगे।

सादर,

भवदीय

(सरयू राय)

अनु- 1

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–19 का प्रश्नोत्तर:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ज्ञापांक:–18/आरोप–01–52/2023–414 (18) स्वा०/18.12.2023 द्वारा पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ0–जुझार मांझी पर विभागीय कार्रवाई चल रही है जो पूर्व जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ0 रेणुका चौधरी मामले से संबंधित है;	वस्तु स्थिति यह है कि श्री सी0पी0 सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न सं0–41 के उत्तर सामग्री में पूर्व जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ0 रेणुका चौधरी से संबंधित मामला W.P.(C)No.4970 of 2016 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित रहने की सूचना एवं तथ्य आधारित प्रतिवेदन को समावेश नहीं करने के कारण डॉ0 जुझार मांझी, सिविल सर्जन, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदुपर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि त्रि–सदस्यीय विभागीय समिति ने जिन दस्तावेजों की जाँचकर डॉ0 रेणुका चौधरी की लंबी सेवा अनुपस्थिति रहकर एवं पंजिका में फर्जी हस्ताक्षर बनाने के मामले में दोषी पाया है, वे दस्तावेज गायब हैं और जिस लिपिक की अभिरक्षा में थे, उसकी हत्या हो गई;	वस्तुस्थिति यह है कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अन्य आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय अधिसूचना सं0–592(18) दिनांक–02.12.2016 द्वारा डॉ0 रेणुका चौधरी के विरूद्व निम्न दंड अधिरोपित किया गया है:– 1. दिनांक–01.09.1995 से दिनांक 07.05.2001 तक की अवधि सेवा में टूट। 2. दिनांक–08.05.2001 से दिनांक–17.01.2006 तक की अवधि सेवा में टूट। 3. डॉ0 चौधरी की सेवा असंतोषजनक होने के कारण शत प्रतिशत पेंशन की राशि की कटौती। उक्त दण्ड के विरूद्व डॉ0 रेणुका चौधरी के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका संख्या W.P.(C) No. 4970 of 2016 दायर किया गया है जो सम्प्रति न्यायालय में लंबित है। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–87 दिनांक–04.03.2023 के अनुसार 2006 से दिसम्बर 2011 तक के चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी एवं OPD रजिस्टर स्व0 संजय कुमार तिवारी, लिपिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, जमशेदपुर के अभिरक्षा में थी, जिन्होंने दिनांक–28.03.2022 को फांसी लगाकर अत्महत्या कर ली है। इस संबंध में साकची थाना काण्ड यू0डी0केस सं0–4/22 दिनांक–28.03.2022 दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा अपने मंतव्य में फांसी लगने के कारण दम घुटने से मृत्यु होना बताया गया है। गायब पंजियों के संबंध में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदुपर द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया है।

3	क्या यह बात सही है कि जिस अवधि में डॉ0 चौधरी अनुपस्थित रही उस अवधि का वेतन उनसे नहीं वसूला गया है;	दिनांक–18.01.2006 से 30.04.2011 तक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर वेतन निकासी करने के मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। डॉ0 चौधरी द्वारा अपने कर्त्तव्य अवधि में ही उक्त अवधि का वेतन प्राप्त किया गया है तथा सेवा टूट अवधि दिनांक–01.09.1995 से 07.05.2001 तक एवं दिनांक–08.05.2001 से 17.06.2006 तक का वेतन डॉ0 चौधरी को भुगतान नहीं हुआ है।
4	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डॉ0 जुझार मांझी को आरोप मुक्त करने, डॉ0 रेणुका चौधरी से अनुपस्थित अवधि का वेतन वसूलने, उनपर फर्जी हस्ताक्षर का मुकदमा चलाने और लिपिक की हत्या का दस्तावेज गायब करने वालों पर मुकदमा चलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	डॉ0 जुझार मांझी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति विभागीय जाँच पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है। डॉ0 रेणुका चौधरी द्वारा उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका WP(C) No. 4970/2016 में आदेश पारित होने के बाद तद्नुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–03/वि0स0–08–02/2024 69(18)   दिनांकः– 29.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2914 दिनांक–25.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/02/2024

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव